

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.)

प्राथमिक डिक्री

अनवान

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1 मांगीलाल पुत्र कुम्भाराम जाति कुम्हार निवासी जसोताणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 शंकराराम 2 मदनलाल 3 माधाराम पिसरान हुकमाराम जाति कुम्हार निवासी जसोताणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 4 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा 11 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

दावा बाबत 53 व 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 153/2019

निर्णय दिनांक :- 12/01/23

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12/01/23 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का काउन्टर क्लेम प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा जसोताणियों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 212/19 रकबा 58.02 बीघा, खसरा संख्या 215/22 रकबा 41.00 बीघा, खसरा संख्या 217/22 रकबा 73.01 बीघा, खसरा संख्या 220/126 रकबा 12.13 बीघा तथा मौजा मगनाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 955/794 रकबा 20.07 बीघा कुल रकबा 205.03 बीघा भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड नियम 18 से 21 की पालना करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित होकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नवीनतम निर्देशों की पालना करते हुए पक्षकारान के कब्जा काशत अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। कमीश्नर शुल्क रु. 1500/- निर्धारित की जाती है जो वादी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 12/01/23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(समदरसिंह भाटी)  
पीठासन अधिकारी  
सहायक कलक्टर,  
(फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

वाद के खर्चे

प्रतिवादी

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
	जोड़		जोड़